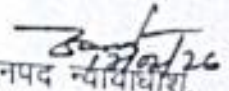


प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, उन्नाव।
आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिये वर्ष 2026 के कैलेंडर में घोषित अवकाश तालिका में उल्लिखित नोट सं0-3 द्वारा जनपद न्यायाधीश को अधीनस्थ न्यायालयों के लिये पांच स्थानीय अवकाश घोषित करने तथा नोट सं0-7 के अनुसार कैलेंडर में वर्णित कोई राष्ट्रीय या अन्य अवकाश, द्वितीय शनिवार या रविवार को पड़ता है तो जनपद न्यायाधीश को उसके स्थान पर अतिरिक्त अवकाश किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। वर्ष 2026 में दिनांक 15.02.2026 (रविवार) महाशिवरात्रि एवं दिनांक 08.11.2026 (रविवार) अवकाश दिवस में है। इस प्रकार पाँच स्थानीय अवकाश एवं रविवार को पड़ने वाले अवकाश के स्थान पर दो अतिरिक्त अवकाश किये जाने शेष हैं।

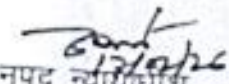
अतः वर्तमान समय में दिनांक 05.03.2026 होली अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त तिथि पर जनपद न्यायालय तथा बाहरस्थ न्यायालय सिविल जज जू0डि0 पुरवा सफीपुर व ग्राम न्यायालय हसनगंज, बीघापुर एवं बोंगरमऊ स्थित समस्त न्यायालय/कार्यालय बन्द रहेंगे। अन्य अवकाश बाद में घोषित किये जायेंगे।


जनपद न्यायाधीश,
उन्नाव।

आदेश की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. माननीय महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. जिला मजि0 उन्नाव को इस अनुरोध के साथ सूचनार्थ प्रेषित की आदेश की प्रति जिला कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी कराने का कष्ट करें।
3. जनपद एवं समस्त बाह्य स्थित न्यायालय/कार्यालय को इस आशय से प्रेषित कि वे नोटिस बोर्डों पर इसकी छायाप्रति जन सामान्य वादकारीगण एवं अधिवक्तागण की सूचनार्थ चस्पान करें। केन्द्रीय नाजिर आदेश का प्रकाशन चस्पानगी द्वारा सुनिश्चित करें।
4. बार एशोसियेशन उन्नाव को इस आशय एवं अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अधिवक्तागण तथा वादकारीगण के सूचनार्थ अपने नोटिस बोर्डों पर चस्पानगी करना सुनिश्चित करें।
5. पीठासीन अधिकारी एम0ए0सी0टी0/अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत
6. जिला सूचना अधिकारी, उन्नाव को इस आशय से प्रेषित कि वह आदेश को स्थानीय समाचार-पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. सिस्टम आफिसर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह जनपद न्यायालय उन्नाव के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि संख्या में माननीय समस्त पीठासीन/प्रभारी
अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित।


जनपद न्यायाधीश,
उन्नाव।

Chief Administrative Officer
Civil Court, Unnao
18/02/26